न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/164/2025	2025/389	13.11.2025	12.01.2026

1. श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, जुबली बास, अलवर, उचित मूल्य दुकान, पोस कोड सं. 26210, अलवर (राज०) जरिये अध्यक्ष नितिन भाल

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राज0)।

—रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थें का विनियम आदेश, 1976 एवं जिला रसद अधिकारी अलवर का पारित निर्णय दिनांक 05.02.2025

उपस्थितः—
01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. श्री विभागीय पैरोकार —रैस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 05.02.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 23/77, पॉस कोड सं 26210 को निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलाण्ट एवं विभागयी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 05.02.2025 को प्रकरण सं. 20/2023 बअनुवान सरकार बनाम श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार में यह निर्णय पारित किया है कि "अतः श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार अलवर को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 23/77 के अन्तर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान कोड संख्या 26210 (सेल्समेन भारत शर्मा) अलवर शहर की समस्त देनदारियां लम्बित रखते हुए निरस्त किया जाता है। उक्त उचित मूल्य दुकान की जमा समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार की जाती है। साथ ही अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध श्रीमान उपायुक्त (द्वितीय) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राज० जयपुर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक – एफ 77 (13) खावि/न्याय/2012–11 जयपुर दिनांक 27.01.2021 के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थी डीलर द्वारा गबन की गई राशन सामग्री की शेष मात्रा की राशि की वसूली की कार्यवाही पी.डी. आर. एक्ट 1952 के अन्तर्गत किये जाने की कार्यवाही पृथक से अमल में लाई जावे।" जिससे व्यथित होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अलवर के एकपक्षीय निलबंन आदेश दिनांक 04.01.2024 व एकपक्षीय निर्णय दिनांक 05.02.2025 के विरूद्ध अपील हाजा पेश की जा रही है। अपीलान्ट संस्था को दिनांक 07.08.2025 को व्यवस्थापक भारत शर्मा के गबन की जानकारी होने पर अपीलान्ट श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, जुबली बास, अलवर की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, जुबली बास, अलवर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान के तत्कालीन व्यवस्थापक भारत शर्मा के द्वारा उचित मूल्य सामग्री का गबन करने एवं भारत शर्मा द्वारा 50 क्वि. गेहूं अटेचमेन्ट डीलर को जमा कराने की जानकारी हुई जिस आरोप के चलते भारत शर्मा की बाबत अपीलान्ट संस्था द्वारा प्रस्ताव लिया जाकर उसे पदमुक्त कर दिया उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने का प्रस्ताव भी लिया गया। तदोपरान्त अपीलान्ट संस्था को मातहत जिला रसद अधिकारी अलवर के एकपक्षीय आदेश व निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.09.2025 को होने पर अपीलान्ट संस्था ने अपने स्तर पर कम स्टॉक की पूर्ति करते हुए अटेचमेन्ट दुकान के व्यवस्थापक को गौरव शहरवाल (अन्नपूर्णा महिला स. समिति) पोस कोड 26165 को दिनांक 30.09.2025 को 15235.760 किग्रा सुपुर्द किया जाकर उसकी सूचना दिनांक 10.10.2025 को जिला रसद अधिकारी, अलवर के यहां देने के साथ अपीलान्ट संस्था द्वारा आलोच्य एकपक्षीय आदेश व निर्णय की

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

प्रति वास्ते विधिवत आवेदन दिनांक 10.10.2025 को पेश किया गया जिस पर नकल दिनांक 10.10.2025 को प्राप्त हुई जिस पर अपील हाजा बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। आलोच्य एकपक्षीय आदेश दिनांक 04.01.2024 एवं एकपक्षीय निर्णय दिनांक 05.02.2025 की जानकारी दिनांक 30.09.2025 तक का समय लाईल्मी करार दिया जाकर अपील अन्दर अवधि करार दिये जाने योग्य है। रफाये हुज्जत पृथक से दफा 5 कानून गियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा प्रकरण सं. 20/2023 में अपीलान्ट संस्था श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, जुबली बास, अलवर को ना तो जांच रिपोर्ट बाबत अवगत कराया, ना ही अपीलान्ट संस्था का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, ना ही निलंबन आदेश दिनांक 04.01.2024 बाबत कोई नोटिस दिया गया, ना ही निर्णय दिनांक 05.02.2025 की कोई सूचना दी गई। उपरोक्त समस्त कार्यवाहियाँ बाबत सूचना अपीलान्ट संस्था के पूर्व व्यवस्थापक सेल्समेन भारत शर्मा को भेजी गई और संस्था को कोई सूचना नहीं दी गई जबकि मातहत जिला रसद अधिकारी को इस तथ्य की भलीभांति जानकार है कि अपीलान्ट संस्था का उचित मूल्य का प्राधिकार पत्र है और अलवर शहर में अपीलान्ट संस्था का कार्यालय स्थित है। अपीलान्ट संस्था के प्राधिकार पत्र के निरस्त होने पर अपीलान्ट संस्था को उचित मूल्य सामग्री के वितरण से प्राप्त होने वाली कमीशन राशि (आय) के चलते अपीलान्ट संस्था का हित निहित है जिस कारण से अपीलान्ट संस्था निर्णय दिनांक 05.02.2025 के विरूद्ध अपील दायर कर रही है जिस हेतु अनुमति दिया जाना आवश्यक है, जिस वास्ते अलहदा से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पेश किया जा रहा है।

आलोच्य निर्णय में अपीलान्ट संस्था के विरूद्ध बीपीएल का गेहूं 20473.580 किग्रा (204.75 क्वि.) का गबन दिखाया गया है जबकि उक्त गेहूं एनएफएसए योजना का है, जिस योजना का गेहूं तत्कालीन व्यवस्थापक भारत शर्मा द्वारा 50 क्वि. गेहूं अटेचमेन्ट डीलर को संभलवाया दिया गया था और अटेचमेन्ट डीलर द्वारा उक्त गेहूं का वितरण किया जा चुका है। अपीलान्ट संस्था को जैसे ही आलोच्य निर्णय की जानकारी हुई तो अपीलान्ट संस्था द्वारा दिनांक 30.09.2025 को अटेचमेन्ट डीलर को 15235.760 किग्रा (152.35 क्वि.) गेहूं सुपुर्द कर दिया गया और अटेचमेन्ट द्वारा समस्त गेंहू का उपभोक्ताओं का वितरण कर दिया गया। इस समय संस्था की पोस मशीन में गेंहू का स्टॉक निल है और अपीलान्ट संस्था की ओर कोई गेहूं बकाया नहीं है, ना ही कभी अपीलान्ट संस्था द्वारा उचित मूल्य सामग्री गेहूं का कोई गबन किया गया है जिस कारण से भी अपीलान्ट संस्था का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने योग्य है। आलोच्य निर्णय में दर्ज अनुसार अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 04.01.2024 को एकपक्षीय रूप से निलंबित किया गया था जो कि 90 दिवस में अर्थात 04.04.2025 तक स्वतः ही विधिक रूप से बहाल होना चाहिए था। केवल 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है, 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता है, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। जैसा कि श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.09.2008 एवं 07.07.2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है।

Raj- Foodgrains & Other Ess- Art- (Regu- of Distri-) Order 1976 के सैक्टर 8 के क्लॉज 2 के अनुसार "No order of cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization] the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of stating his case-"

कारण बताओ नोटिस में जो आरोप विभाग द्वारा लगाये गये थे वो तत्कालीन व्यवस्थापक भारत शर्मा के विरूद्ध लगाये गये है। अपीलान्ट संस्था वर्ष 1977 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करती चली आ रही है। अपीलान्ट संस्था का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट संस्था के समक्ष भारी आर्थिक विषमताऐं उत्पन्न हो गई है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट संस्था के क्रियाकलाप संचालित होते है। न्यायहित में अपीलान्ट संस्था का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ निर्णय या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो गातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण से एकपक्षीय निर्णय दिनांक 05.02.2025 निरस्त फरमाये जाने योग्य है एवं अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण सं. 20/2023 बअनुवान सरकार बनाम श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, उ.मू.दु. में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 05.02.2025 जिसके द्वारा अपीलान्ट संस्था (पॉस कोड 26210) का प्राधिकार पत्र सं. 23/77 विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त किया गया है, पीडीआर एक्ट 1952 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेश दिये

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

गये है, वो निर्णय निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलान्ट संस्था का प्राधिकार पत्र बहाल करते हुए अपीलान्ट संस्था श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, जुबली बारा, अलवर को उचित मूल्य सामग्री के उठाव एवं वितरण (सप्लाई) चालू करने का आदेश एवं अन्य न्यायोचित आज्ञा व आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

विभागीय परोकार ने अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 08.12.2023 को श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार (सेल्समेन शर्मा), उचित मूल्य दुकानदार, कोड संख्या 26210, अलवर शहर की जांच की गई। रिपोर्ट में पाया गया कि मौके पर उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। दुकान बंद होने का कारण बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं पाया गया। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार उपस्थित नहीं मिला। मोबाईल नम्बर भी बंद पाया गया। मौके पर उपभोक्ताओं ने बताया कि दुकान प्रायः बंद रहती है तथा उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है तथा दुर्व्यवहार किया जाता है। वक्त जांच मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया गया। वक्त जांच पोर्टल पर पोस कोड 26210 में कुल 17277.58 किग्रा गेहूं का स्टॉक है लेकिन आप द्वारा माह दिसम्बर 2023 में मात्र 915 किग्रा गेहूं का उपभोक्ताओं में वितरण किया गया जाना पाया गया। माह जनवरी 2024 के आवंटन के 5306 किग्रा गेहूं की आमद होने के बावजूद प्रार्थी द्वारा गेहूं को रिसीव नहीं किया जाना पाया गया। जिसके कारण अप्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.12.2017 निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी डीलर द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी डीलर का जवाब विधिसंवत नहीं है और न ही डीलर द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये गये हैं। प्रवर्तन अधिकारी, अलवर शहर द्वारा पोस मशीन संख्या 26210 व पोस मशीन में दर्ज स्टॉक को संभलवाये जाने बाबत अपनी रिपोर्ट दिनांक 22.01.2024 प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा उक्त मशीन में उपलब्ध स्टॉक फूड पैकेट–1. अन्य सहायता गेहूं–12 किग्रा, चावल–2213. 500 किग्रा, गेहूं 1831.500 किग्रा, दाल–280 किग्रा, गेहूं बीपीएल–20475.580 किग्रा जो अटेच डीलर श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, पोस कोड 26204 को नहीं संभलवाया गया है। उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,9,11,17 सी व 18 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानो का भी स्पष्ट उल्लंघन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर विचार किया गया। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 05.02.2025 प्रकरण सं.20/2023 बअनुवान सरकार बनाम श्रमिक सहकारी उपभोक्ता (पॉस कोड 26210) का प्राधिकार पत्र सं. 23/77 विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट को बिना नोटिस दिये व बिना साक्ष्य के अवसर दिये समस्त देनदारी लम्बित रखते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाहियाँ बाबत सूचना अपीलान्ट संस्था के पूर्व व्यवस्थापक सेल्समेन भारत शर्मा को भेजी गई और संस्था को कोई सूचना नहीं दी गई जबकि मातहत जिला रसद अधिकारी को इस तथ्य की भलीभांति जानकार है कि अपीलान्ट संस्था का उचित मूल्य का प्राधिकार पत्र है और अलवर शहर में अपीलान्ट संस्था का कार्यालय स्थित है। अपीलान्ट संस्था के प्राधिकार पत्र के निरस्त होने पर अपीलान्ट संस्था को उचित मूल्य सामग्री के वितरण से प्राप्त होने वाली कमीशन राशि (आय) के चलते अपीलान्ट संस्था का हित निहित है। इसलिए अपीलांट को अपने हितों कि रक्षार्थ अपील दायर करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को बिना सुने ही उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट के उपरोक्त कथन न्यायोचित प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलांट ने आदेश दिनांक 05.02.2025 के विरूद्ध दिनांक 11.11.2025 को पेश किया गया है। प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलांट ने अपील पेश कर तर्क किया है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने व विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस दिनांक 19.12.2023 की अनुपालना में अपीलांट श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार एफ.पी.एस. कोड सं. 26210 तत्कालीन व्यवस्थापक भारत शर्मा द्वारा दिनांक 29.12.2023 को जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। दिनांक 04.01.2024 को प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया जिसे 90 दिवस में प्राधिकार पत्र की जांच कर निर्णय करना होता है। उक्त के क्रम में श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के पत्र दिनांक 02.09.2008 एवं दिनांक 07.07.2009 में दिशा–निर्देश दिये है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 05.02.2025 को प्राधिकार पत्र सं. 23/77 की समस्त देनदारियां लम्बित रखते हुए निरस्त किया गया, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर भी यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है कि

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलांट द्वारा कितने अनाज का गबन किया गया है और अटैच डीलर सहकारी उपभोक्ता भण्डार व्यवस्थापक पोस कोड सं 26204 को राशन सामग्री सुपुर्द नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा 15235.76 कि.ग्रा. गेंहू ए.पी.ल/बी.पी.ल./ए.ए.वाई. का दिनांक 30.09.2025 अटैच डीलर श्रमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार पोस कोड सं. 26204 को संगलवाया जाने की रसीद प्रस्तुत की गई है एवं 50 क्वि० गेंहू उपभोक्ताओं पूर्व में ही वितरीत कर दिया जाना अवगत कराया है एवं पोस कॉड सं0 26204 में दिनांक 12.01.2026 वर्तमान स्टॉक की रसीद पेश की गई, जिसमें फूड पैकेट 1 पैकेट व गेहूं BPL/SB/AAY/APL में 0.76 किग्रा गेहूं बकाया है। बाकी सामग्री शुन्य में है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई तथ्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, साथ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट के द्वारा कितना गबन किया गया है स्पष्ट नहीं है एवं अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलांट के हित को देखते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 05.02.2025 निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)